

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404
Email: dm-jha-ri@nic.in

कमांक / न्याय / 2018 / 4345

दिनांक 16.06.2018

आदेश

अनुज्ञापत्रधारी श्री श्याम सुन्दर गर्ग आ. स्व0 श्री मदन लाल गर्ग, निवासी अकलेरा हाल बाजार न0 6 रामगंजमंडी जिला कोटा ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके नाम 12 बोर शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 137/76 जारी है, जो 31.12.2018 तक नवीनीकृत एवं यूनिक आईडी नम्बर 29518002378826/2015 तथा क्षेत्राधिकार जिला झालावाड़ है। प्रार्थी वर्तमान में रामगंजमंडी जिला कोटा में स्थायी रूप से निवासरत है। शस्त्र अनुज्ञापत्र का क्षेत्राधिकार जिला झालावाड़ होने से थाना अकलेरा में जमा शस्त्र 12 बोर दो नाली न0 87706 है, को रामगंजमंडी नहीं ले जा पा रहा है। इस कारण प्रार्थी ने अनुज्ञापत्र का क्षेत्राधिकार कोटा जिला ओर बढ़ाये जाने हेतु निवेदन किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण एवं उपखंड मजिस्ट्रेट रामगंजमंडी जिला कोटा से रिपोर्ट ली जाने पर उनके द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत की गई।

अतः अनुज्ञापत्रधारी श्री श्याम सुन्दर गर्ग आ. स्व0 श्री मदन लाल गर्ग, निवासी अकलेरा हाल रामगंजमंडी जिला कोटा के पक्ष में जारी 12 बोर शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 137/76 का क्षेत्राधिकार जिला झालावाड़ के अतिरिक्त जिला कोटा की वृद्धि की जाती है।

(डा0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

कमांक / न्याय / 2018 / 4345-50
प्रतिलिपि-

दिनांक 16.06.2018

- 1- जिला मजिस्ट्रेट कोटा
- 2- पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण कोटा / झालावाड़
- 3- थानाधिकारी रामगंजमंडी जिला कोटा
- 4- थानाधिकारी थाना अकलेरा को दी जाकर लेख है कि श्री श्यामसुंदर गर्ग के जमाशुदा शस्त्र को नियमानुसार लोटावे।
- 5- श्री श्यामसुंदर गर्ग आ मदन लाल गर्ग निवासी बाजार न06 रामगंजमंडी जिला कोटा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़

